Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to set up a special fund and blood bank for thalassemia patients.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता-पिता दोनों के जींस में माइनर थैलेसीमिया होता है तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है जो काफी घातक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में हर वर्ष सात से दस हजार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। भारत की कुल जनसंख्या का 3.4 प्रतिशत भाग थैलेसीमिया ग्रस्त है और भारत में करीब 10 लाख बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया पीड़ित के इलाज में काफी बाहरी रक्त चढ़ाने और दवाइयों की आवश्यकता होती है इस कारण सभी इसका इलाज नहीं करवा पाते, जिससे 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सही इलाज करने पर 25 वर्ष व इससे अधिक जीने की आशा होती है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, रक्त की जरूरत भी बढ़ती जाती है।

थैलेसीमिया पर विश्वभर में शोघ अनुसंधान जारी है। इन प्रयासों से ही थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए एक दवाई अविष्कृत हुई थी। जिसे खाने सही शरीर में लौह मात्रा नियंत्रित हो जाएगी। असुरां नाम की यह दवा पश्चिमी देशों में एक्स जेड नाम से पहले से ही प्रयोग हो रही है। इससे इलाज का खर्च भी कम हो जाएगा, किन्तु इसके दुष्प्रभावों (साइड एफैक्ट्स) में इससे किडनी प्रभावित होने का एक परसेंट खतरा बना रहता है और यह प्रक्रिया बहुत महंगी और कष्टदायक होती है। इसमें प्रयोग होने वाले एक इंजेक्शन की कीमत 164 रूपये होती है। इस प्रक्रिया में हर साल पचास हजार से डेढ़ लाख रूपए तक खर्च आता है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि थैलेसीमिया के इलाज हेतु देश भर में विशेष निधि का आवंटन करने हेतु एक शाखा बनाये जाने का प्रस्ताव करे और

इसके उपचार हेतु विशेष ब्लड बैंक की स्थापना करने की व्यवस्था की जाये।